रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21052022-235921
CG-DL-W-21052022-235921

xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मई 15—मई 21, 2022, शनिवार/वैशाख 25,— वैशाख 31, 1944
No. 9] NEW DELHI, MAY 15—MAY 21, 2022, SATURDAY/VAISAKHA 25,–VAISAKHA 31, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 9 मई , 2022

आ.अ. 38.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत आंध्र प्रदेश के **140-बानागानापल्ले** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की एक सत्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करनी होती है; और

यतः, आंध्र प्रदेश के **140 बानागानापल्ले** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22, जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कुरनूल** जिला, आंध्र प्रदेश, द्वारा प्रस्तुत दिनांक **22 जून, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री/श्रीमती/कुम./सुश्री गोपागी सत्यामन्ना,** जो आंध्र प्रदेश के **140 बानागानापल्ले** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कुरनूल की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री/श्रीमती/कुम./सुश्री गोपागी सत्यामन्ना** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/एपी-एलए/2020/140** दिनांक **22 फरवरी, 2021** जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री/श्रीमती/कुम./सुश्री गोपागी सत्यामन्ना** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **कुरनूल** जिला को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कुरनूल** जिला ने बताया है कि **श्री/श्रीमती/कुम./सुश्री गोपागी सत्यामन्ना** को उक्त नोटिस **दिनांक 03.04..2021** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कुरनूल** ने अपनी दिनांक **01.04.2022** की अनूपरक रिपोर्ट में सूचित किया कि **श्री/श्रीमती/कुम./सुश्री गोपागी सत्यामन्ना** ने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री/श्रीमती/कुम./सुश्री गोपागी सत्यामन्ना** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री/श्रीमती/कुम./सुश्री गोपागी सत्यामन्ना** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2919 में **आंध्र प्रदेश के 140 बानागानापल्ले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र साधारण निर्वाचन, 2019** में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री/श्रीमती/कुम./सुश्री गोपागी सत्यामन्ना, म.नं. 3-186, से मेटुपल्ली गांव, ऑक मंडल, आंध्र प्रदेश** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/एपी-एलए/2020]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 9th May, 2022

O.N. 38.—WHEREAS, the General Election for **140-Banaganapalle** Assembly Constituency of Andhra Pradesh Legislative Assembly, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019, dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **140-Banaganapalle** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated **22nd June, 2019** submitted by the District Election Officer, Kurnool District, Andhra Pradesh, **Shri/Smt/Km/Ms. Gopagi Satyamanna,** a contesting candidate from **140-Banaganapalle** Assembly Constituency, 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, Kurnool, a Show-Cause notice No. **76/AP-LA/2020/140**, dated **22nd February, 2021** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri/Smt/Km/Ms. Gopagi Satyamanna,** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Shri/Smt/Km/Ms. Gopagi Satyamanna,** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Kurnool within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kurnool, has reported that the said notice was served to **Shri/Smt/Km/Ms. Gopagi Satyamanna,** on **03.04.2021** ; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kurnool in his supplementary report, dated **01.04.2022** reported that **Shri/Smt/Km/Ms. Gopagi Satyamanna,** has not submitted any account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Shri/Smt/Km/Ms. Gopagi Satyamanna,** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or* under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri/Smt/Km/Ms. Gopagi Satyamanna,** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri/Smt/Km/Ms. Gopagi Satyamanna,** H. No. 3-186, Mettupalli Village, Owk Mandal, Andhra Pradesh and a contesting candidate from **140-Banaganapalle** Assembly Constituency of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly, 2019 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AP-LA/2020]

By Order,

AVINASH KUMAR, Pr. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 मई, 2022

आ.अ. 39.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत आंध्र प्रदेश के **19-अनन्तपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की एक सत्य प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करनी होती है; और

यतः, 19-अनन्तपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **22, जून, 2019** थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु जिला,** आंध्र प्रदेश, द्वारा प्रस्तुत दिनांक **25/26 जून, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एल. रंगैय्या** जो आंध्र प्रदेश के **19-अनन्तपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एल. रंगैय्या** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एपी-एचपी/2020/19, दिनांक 20 फरवरी, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एल. रंगैय्या** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु** जिला को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु** ने बताया है कि श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एल. रंगैय्या** को उक्त नोटिस **दिनांक 16.03.2021** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु** ने अपनी दिनांक **03.08.2021 और 28.04.2022** की अनूपरक रिपोर्टों में सूचित किया कि श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एल. रंगैय्या** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके

अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एल. रंगैय्या** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यत:, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एल. रंगैय्या** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में आंध्र प्रदेश के **19-अनन्तपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एल. रंगैय्या, निवासी डी.न. 7-90 सोमानदापल्ली (V) पेड्डापप्पुरू (एम), आंध्र प्रदेश** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/एपी-एचपी/2020]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th May, 2022

O.N. 39.—WHEREAS, the General Election to the House of People for **19-Anantapur** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/ PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **19-Anantapur** Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **22nd June, 2019** ; and

WHEREAS, as per the report dated **25/26th June, 2019** submitted by the District Election Officer, **Anantapuramu District,** Andhra Pradesh, Shri/Smt./Km./Ms. **L. Rangaiah,** a contesting candidate from **19-Anantapur.** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh, 2019, has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/AP-HP/2020/19, dated 20th February, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri/Smt./Km./Ms **L. Rangaiah** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, Shri/Smt./Km./Ms**. L. Rangaiah** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Anantapuramu,** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Anantapuramu**, has reported that the said notice was served to Shri/Smt./Km./Ms **L. Rangaiah** on **16.03.2021**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Anantapuramu** in his supplementary reports dated **03.08.2021 and 28.04.2022**, reported that Shri/Smt./Km./Ms**. L. Rangaiah** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, Shri/Smt./Km./Ms **L. Rangaiah** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri/Smt./Km./Ms **L. Rangaiah,** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri/Smt./Km./Ms **L. Rangaiah,** resident of **D. No. 7-90, Somandapalli (V), Peddapappuru (M) Andhra Pradesh** and a contesting candidate from **19-Anantapur** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh in the General Election to the House of People, 2019 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AP-HP/2020]

By Order,

AVINASH KUMAR, Pr. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 मई, 2022

आ.अ. 40.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत आंध्र प्रदेश के **19-अनन्तपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की एक सत्य प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करनी होती है; और

यतः, 19-अनन्तपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **22, जून, 2019** थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु जिला,** आंध्र प्रदेश, द्वारा प्रस्तुत दिनांक **25/26 जून, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **पी. रंगैय्या** जो आंध्र प्रदेश के **19-अनन्तपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **पी. रंगैय्या** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एपी-एचपी/2020/19, दिनांक 20 फरवरी, 2021 जारी किया गया था; और

यत:, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **पी. रंगैय्या** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु** जिला को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु** जिला ने बताया है कि श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **पी. रंगैय्या** को उक्त नोटिस **दिनांक 16.03.2021** को तामील किया गया था; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु** ने अपनी दिनांक **03.08.2021 और 28.04.2022** की अनूपरक रिपोर्ट में सूचित किया कि श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **पी. रंगैय्या** ने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **पी. रंगैय्या** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यत:, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **पी. रंगैय्या** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में आंध्र प्रदेश के **19-अनन्तपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **पी. रंगैय्या, डी.न. 1-33, मेन रोड, अरकातीवेमुला गांव, पुटलुर (एम), आंध्र प्रदेश** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/एपी-एचपी/2020]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th May, 2022

O.N. 40.—WHEREAS, the General Election to the House of People for **19-Anantapur** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **19-Anantapur** Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **22nd June, 2019** ; and

WHEREAS, as per the report dated **25/26th June, 2019** submitted by the District Election Officer, **Anantapuramu District,** Andhra Pradesh, Shri/Smt./Km./Ms. **P. Rangaiah,** a contesting candidate from **19-Anantapur** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh, 2019, has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/AP-HP/2020/19, dated 20th February, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri/Smt./Km./Ms **P. Rangaiah,** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, Shri/Smt./Km./Ms**. P. Rangaiah,** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Anantapuramu**, within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Anantapuramu**, has reported that the said notice was served to Shri/Smt./Km./Ms **P. Rangaiah,** on **16.03.2021**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Anantapuramu** in his supplementary reports dated **03.08.2021** and **28.04.2022**, reported that Shri/Smt./Km./Ms**. P. Rangaiah,** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, Shri/Smt./Km./Ms **P. Rangaiah,** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri/Smt./Km./Ms **P. Rangaiah,** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri/Smt./Km./Ms **P. Rangaiah,** resident of **D. No. 1-33, Main Road Arkativemula Village, Putlur (M), Andhra Pradesh** and a contesting candidate from **19-Anantapur** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh in the General Election to the House of People, 2019 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AP-HP/2020]

By Order,

AVINASH KUMAR, Pr. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 मई, 2022

आ.अ. 41.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत आंध्र प्रदेश के **19-अनन्तपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की एक सत्य प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करनी होती है; और

यतः, 19-अनन्तपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **22, जून, 2019** थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु जिला,** आंध्र प्रदेश, द्वारा प्रस्तुत दिनांक **25 जून, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एस.वी.पी. यादव** जो आंध्र प्रदेश के **19-अनन्तपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एस.वी.पी. यादव** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एपी-एचपी/2020/19, दिनांक 20 फरवरी, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एस.वी.पी. यादव** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु** जिला को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु** जिला ने बताया है कि श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एस.वी.पी. यादव** को उक्त नोटिस **दिनांक 15.03.2021** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु** ने अपनी दिनांक **03.08.2021 और 28.04.2022** की अनूपरक रिपोर्ट में सूचित किया कि श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एस.वी.पी. यादव** ने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एस.वी.पी. यादव** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यत:, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डो के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एस.वी.पी. यादव** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में आंध्र प्रदेश के **19-अनन्तपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **एस.वी.पी. यादव,** निवासी **डी.न. 12-1-502, अशोक नगर, अनन्तपुरामु, आंध्र प्रदेश** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/एपी-एचपी/2020]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th May, 2022

O.N. 41.—WHEREAS, the General Election to the House of People for **19-Anantapur** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **19-Anantapur** Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **22nd June, 2019** ; and

WHEREAS, as per the report dated **25th June, 2019** submitted by the District Election Officer, **Anantapuramu District,** Andhra Pradesh, Shri/Smt./Km./Ms. **S.V.P. Yadav,** a contesting candidate from **19-Anantapur** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh, 2019, has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/AP-HP/2020/19, dated 20th February, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri/Smt./Km./Ms **S.V.P. Yadav,** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, Shri/Smt./Km./Ms**. S.V.P. Yadav,** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Anantapuramu** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Anantapuramu**, has reported that the said notice was served to Shri/Smt./Km./Ms **S.V.P. Yadav,** on **15.03.2021**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Anantapuramu** in his supplementary reports dated **03.08.2021** and **28.04.2022**, reported that Shri/Smt./Km./Ms**. S.V.P. Yadav,** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, Shri/Smt./Km./Ms **S.V.P. Yadav,** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri/Smt./Km./Ms **S.V.P. Yadav** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri/Smt./Km./Ms **S.V.P. Yadav,** resident of **D. No. 12-1-502, Ashok Nagar, Ananthapuramu, Andhra Pradesh** and a contesting candidate from **19-Anantapur** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh in the General Election to the House of People, 2019 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AP-LA/2020]

By Order,

AVINASH KUMAR, Pr. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 मई, 2022

आ.अ. 42.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत आंध्र प्रदेश के **20-हिन्दुपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की एक सत्य प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करनी होती है; और

यतः, 20-हिन्दुपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **22, जून, 2019** थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु जिला,** आंध्र प्रदेश, द्वारा प्रस्तुत दिनांक **25 जून, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **गोगुला पुलाकुंटा जयंत** जो आंध्र प्रदेश के **20-हिन्दुपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **गोगुला पुलाकुंटा जयंत** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एपी-एचपी/2020/20, दिनांक 20 फरवरी, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **गोगुला पुलाकुंटा जयंत** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु** जिला को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु** ने बताया है कि श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **गोगुला पुलाकुंटा जयंत** को उक्त नोटिस **दिनांक 15.03.2021** को तामील किया गया था; और

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, **अनंतपुरामु** ने अपनी दिनांक **03.08.2021 और 28.04.2022** की अनूपरक रिपोर्ट में सूचित किया कि श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **गोगुला पुलाकुंटा जयंत** ने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **गोगुला पुलाकुंटा जयंत** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यत:, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डो के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **गोगुला पुलाकुंटा जयंत** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में आंध्र प्रदेश के **20-हिन्दुपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री/श्रीमती/कु./सुश्री **गोगुला पुलाकुंटा जयंत,** निवासी **मौर्वा कोम्मा कॉलोनी, कलेक्टर ऑफिस के सामने, अनन्तपुरामु, आंध्र प्रदेश** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/एपी-एचपी/2020]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th May, 2022

O.N. 42.—WHEREAS, the General Election to the House of People for **20-Hindupur** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for **20-Hindupur** Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **22nd June, 2019** ; and

WHEREAS, as per the report dated **25th June, 2019** submitted by the District Election Officer, **Anantapuramu District,** Andhra Pradesh, Shri/Smt./Km./Ms. **Gogula Pulakunta Jayanth,** a contesting candidate from **20-Hindupur**

Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh, 2019, has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/AP-HP/2020/20, dated 20th February, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri/Smt./Km./Ms **Gogula Pulakunta Jayanth,** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, Shri/Smt./Km./Ms**. Gogula Pulakunta Jayanth,** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Anantapuramu** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Anantapuramu**, has reported that the said notice was served to Shri/Smt./Km./Ms **Gogula Pulakunta Jayanth,** on **15.03.2021**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Anantapuramu** in his supplementary report dated **03.08.2021** and **28.04.2022**, reported that Shri/Smt./Km./Ms**. Gogula Pulakunta Jayanth,** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, Shri/Smt./Km./Ms **Gogula Pulakunta Jayanth,** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri/Smt./Km./Ms **Gogula Pulakunta Jayanth,** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri/Smt./Km./Ms **Gogula Pulakunta Jayanth,** resident of **Maurva Komma Colony, Opp, Collector's Office, Ananthapuramu, Andhra Pradesh** and a contesting candidate from **20-Hindupur** Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh in the General Election to the House of People, 2019 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AP-HP/2020]

By Order,

AVINASH KUMAR, Pr. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

आ.अ. 43.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 47-धरसीवां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थीः

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर,** छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक **11 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **श्री धनेश कुमार मैरिसा** जो छत्तीसगढ़ के **47-धरसीवां** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **अंबेडकराईट पार्टी आफ इण्डिया** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर,** छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री धनेश कुमार मैरिसा** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **10 फरवरी, 2020** को जारी किया गया थाः

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **10 फरवरी, 2020** के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री धनेश कुमार मैरिसा** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करेः

और यतः, उक्त नोटिस **श्री धनेश कुमार मैरिसा** द्वारा दिनांक **20 फरवरी, 2020** को प्राप्त किया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक **27 फरवरी, 2020** के पत्र सं0 **7364/निर्वा./नि.प./2020** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई हैः

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर** द्वारा अपने दिनांक **09 मार्च, 2022** के पत्र सं. **847/नस्ती क्रमांक 184/निर्वा./ नि.प./2022** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री धनेश कुमार मैरिसा** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया हैः

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री धनेश कुमार मैरिसा** निर्वाचन खर्चों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने मे विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैः तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य **47-धरसीवां** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा के

साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लडने वाले **अंबेडकराईट पार्टी आफ इण्डिया** के अभ्यर्थी **श्री धनेश कुमार मैरिसा, ग्राम+पो. सिलतारा, छत्तीसगढ़** को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु- 1/47/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2022

O.N. 43.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1917, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **47-Dharsiwa** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **11th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Dhanesh Kumar Mairisha,** a contesting candidate of **Ambedkarite Party of India** from **47-Dharsiwa** Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses in the manner as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **10th February, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961 to, **Sh. Dhanesh Kumar Mairisha** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **10th February, 2020**, **Sh. Dhanesh Kumar Mairisha**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Dhanesh Kumar Mairisha**, on **20th February, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. **7364/निर्वा./नि.प./2020** dated, **27th February, 2020.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. **847/नस्ती क्रमांक 184/निर्वा./नि.प./2022** dated, **09th March, 2022** has stated that **Sh. Dhanesh Kumar Mairisha**, has not submitted any representation or his account of election expenses till date. Further, he has furnished

neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Dhanesh Kumar Mairisha**, has failed to lodge an account of election expenses in the manner and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1917 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1917, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Dhanesh Kumar Mairisha, Vill-Kankidipa, P.O.-Bengachi, Tehsil-Sarangarh, Dist- Raipur, Chhattisgarh** and a contesting candidate of **Ambedkarite Party of India** for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **47-Dharsiwa** Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. CG-LA/ES-I/47/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

आ.अ. 44.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 47-धरसीवां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थीः

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर,** छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक **11 जनवरी, 2019** की रिपोर्ट के अनुसार **श्री पुरन लाल बघेल** जो छत्तीसगढ़ के **47-धरसीवां** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर,** छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री पुरन लाल बघेल** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **10 फरवरी, 2020** को जारी किया गया थाः

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **10 फरवरी, 2020** के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री पुरन लाल बघेल** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करेः

और यतः, उक्त नोटिस **श्री पुरन लाल बघेल** द्वारा दिनांक **20 फरवरी, 2020** को प्राप्त किया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक **27 फरवरी, 2020** के पत्र सं0 **7364/निर्वा./नि.प./2020** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई हैः

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रायपुर** द्वारा अपने दिनांक **09 मार्च, 2022** के पत्र सं. **847/नस्ती क्रमांक 184/निर्वा./ नि.प./2022** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री पुरन लाल बघेल** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया हैः

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री पुरन लाल बघेल** निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने मे विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैः तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1917 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य **47-धरसीवां** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लडने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी **श्री पुरन लाल बघेल, ग्राम- रैता, पो० मनोहरा, पिन-493116, छत्तीसगढ़** को इस आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु-1/47/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2022

O.N. 44.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1917, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **47-Dharsiwa** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **11th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Puran Lal Baghel,** an **Independent** contesting candidate from **47-Dharsiwa** Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Raipur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **10th February, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules,1961 to, **Sh. Puran Lal Baghel** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **10th February, 2020**, **Sh. Puran Lal Baghel**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Puran Lal Baghel**, on **20th February, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. **7364/निर्वा./नि.प./2020** dated, **27th February, 2020.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raipur** vide his letter No. **847/नस्ती क्रमांक 184/निर्वा./ नि.प./2022** dated, **09th March, 2022** has stated that **Sh. Puran Lal Baghel**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Puran Lal Baghel**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1917 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1917, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Puran Lal Baghel, Gram- Raita, P.O.- Manohara, Pin-493116, Chhattisgarh** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **47-Dharsiwa** Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. CG-LA/ES-I/47/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.21 11:26:04 +05'30'